संख्या– 2962 / अड़तीस–7–12–324नरेगा / 2012टी0सी0

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7

लखनऊः दिनांकः 09 जनवरी, 2013

विषयः–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो का सोशल आडिट कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम–2005 की धारा–24 के अन्तर्गत मनरेगा लेखा परीक्षा नियम–2011 प्रख्यापित किये जा चुके है। उक्त नियमावली के नियम–3(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्यो का सामाजिक लेखा परीक्षा और वित्तीय वर्ष के दौरान की गई सोशल आडिट के निष्कर्षो का सारांश राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा को प्रेषित किया जाना अनिवार्य किया गया है। सोशल आडिट की सफलता पर राज्य सरकार को भविष्य में मनरेगा कार्यो के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान की धनराशि का भी विनिश्चयन किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त, कार्यक्रम के सफल कियान्वयन हेतु भी सोशल आडिट कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना अपरिहार्य है।

2– इस संबंध में शासनादेश संख्या–2245 / अड़तीस–7–2012–200नरेगा / 2009, दिनांकः 04–10–2012, शासनादेश संख्या–2217 / अड़तीस–7–2012–200नरेगा / 2009, दिनांकः 04–10–2012 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें सोशल आडिट हेतु जिला / ब्लाक समन्वयकों के रिक्त पदों को भरने, ग्राम पंचायत स्तरीय सोशल आडिट टीमों का गठन, प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरान्त आडिट टीमों द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक सोशल आडिट दिनांकः 15–03–2013 तक सम्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2....

3– शासन के संज्ञान में यह आया है कि सोशल आडिट के संबंध में निर्गत शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों के अनुपालन में कतिपय जनपदों द्वारा वांछित तत्परता के साथ कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसके कारण अभी तक अनेक जनपदों में जिला/ब्लाक समन्वयकों के रिक्त पदों को नहीं भरा गया है और ग्राम पंचायत स्तरीय सोशल आडिट टीमों का गठन भी नहीं किया गया है। आप सहमत होंगे कि यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। अतः इस संबंध में अनुरोध है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों के सोशल आडिट के संबंध में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों/दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए जिला/ब्लाक समन्वयकों की नियुक्ति, ग्राम पंचायत स्तरीय सोशल आडिट टीमों के गठन एवं प्रशिक्षण इत्यादि के संबंध में तत्परता से कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

संख्याः 2962 (1)/अड़तीस–7–2012तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. आयुक्त/रोजगार गारण्टी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, सोशल आडिट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।